(९)

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

क्रमांक 738/695/2016/16 :– औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत राज्य में श्रम अधिनियमों के सरल अनुपालन एवं श्रम निरीक्षण व्यवस्था में सुधार के दृष्टिकोण से एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना लागू की जाती है । अतएव विभिन्न श्रम अधिनियमों या उक्त अधिनियमों अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत विभिन्न प्रपत्रों में किसी कारखाना/स्थापना या वाणिज्यिक स्थापना द्वारा दाखिल किये जाने वाली वार्षिक विवरणियों के बदले एकीकृत वार्षिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र में विभागीय वेबपोर्टल में प्रतिवर्ष 30 जून तक ऑनलाईन दाखिल करने हेतु विहित किया जाता है ।

एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना का लाभ लेने के लिए 30 जून तक एकीकृत वार्षिक विवरणी ऑनलाईन दाखिल करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अब्बास खान)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 739/695/2016/16 नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान मंत्रीजी, श्रम विभाग, छ.ग.शासन, रायपुर ।
2. स्टाफ आफिसर,अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,श्रम विभाग,मंत्रालय, रायपुर(छ.ग.)
3. श्रमायुक्त,छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
4. मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, रायपुर ।
5. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,छ.ग.रायपुर ।
6. समस्त– उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/कारखाना निरीक्षक/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
7. समस्त– उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
8. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इंद्रावती भवन के पीछे, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग